20.2.2026	वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 एकपक्षीय। विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्ध नाम करीमखान दर्ज हो रखा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल है।
	उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कन्हैयालाल के नाम से ही अन्य सरकारी दस्तावेजात बने हुए है लेकिन विवादित आराजी में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को हानि हो रही है विपक्षी संख्या 6 ने भी अपने जवाब में स्वीकार कीया है, कि प्रार्थी का विवादित आराजी में गलत नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर माफिक अनुतोष प्रार्थी को राहत दी जावे।	
हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन कीया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन कीया। जिसमें पाया कि ग्राम- डोली राजपुरोहितान की खेत खसरा नम्बर 617, 876/617, व डोली कल्ला ग्राम की खसरा नम्बर 225 में प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है जबकि सरकारी दस्तावेजात, ड्राइविंग लाईसेन्स, परिवार राशन-कार्ड, वोटर कार्ड प्रति, आधार कार्ड प्रति, बैंक डायरी प्रति, पेन कार्ड प्रति में कन्हैयालाल पुत्र मंगलाराम नाम दर्ज है। इसके अलावा विपक्षी तहसीलदार कल्याणपुर ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि, विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है, जबकि वास्तविक नाम कन्हैयालाल है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन - पत्र स्वीकार कीया जाकर ग्राम डोली कल्ला की खसरा नम्बर 225 व ग्राम डोली	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजपुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा नम्बर 617 व 876/617 कुल रकबा 1.8130 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज अशुद्ध प्रविष्टि कलीयाण पुत्र मंगलाराम के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र मंगलाराम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष यथावत रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

पत्रावली फैसला मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा